



खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 (एफ.एस .एस .ए.) नियम और विनियम, 2011

"रोकथाम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, नियम 1955" की जगह पर 5 अगस्त, 2011 से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नियम और विनियम, 2011 नया अधिनियम लागू किया गया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की परिभाषा:

खाद्य से संबंधित विधियोंको समेकित करने और खाद्यपदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकृत करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के लिए विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने के लिए अधिनियम।

इस अधिनियम के अनुसार, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार देश में सभी खाद्य व्यापार ऑपरेटरों को पंजीकृत किया जाएगा या लाइसेंस दिया जाएगा। जिन लघु खाद्य व्यापार ऑपरेटरों का वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक नहीं है, वह संबंधित पंजीयन प्राधिकरण से पंजीकरण करेंगे और जिन खाद्य व्यापार ऑपरेटरों का वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है, वह संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करेंगे।

खाद्य सुरक्षा और मानक के (लाइसेंसिंग और खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण) विनियम 2011 के प्रावधानों के तहत, खाद्य खानपान सेवाएं और रेल क्षेत्र से संचालन किए जा रहे रेस्टोरेंट, यह श्रेणियां केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अंतर्गत आती है।

FSSAct 2006 के तहत लाइसेंस मिला है :

1	जालमसिंह सुखदेवजी पुरोहित	टी स्टॉल और कोकम मेवा स्टॉल, कुडाल स्टेशन
2	मोहम्मद शरीफ	वेज रेस्टोरेंट, कुडाल स्टेशन
3	दिनेश शिवराम जाधव	चाय की दुकान खेड स्टेशन
4	सुधाकर मार्क संजीव	ट्रेन संख्या 12619 एलटीटी- मंगलुरु मत्स्यगंधा एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 16585 मुरुडेश्वर एक्सप्रेस
5	मेसर्स एन. ए. खान जबलपुर	रनिंग रूम, रत्नागिरी स्टेशन
6	विद्याधर राजाराम पावसकर	टी स्टॉल, कंकवली स्टेशन

7	रवि किरण कैटरिंग सर्विसेज संगठन	ट्रेन संख्या 12134 अप मंगलुरु -सीएसटीएम एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12133 अप मंगलुरु सीएसटीएम एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 11003 और ट्रेन संख्या 11004, तुतारी एक्सप्रेस
8	रवि सुधाकर संजीव	चाय की दुकान चिपलून स्टेशन ट्रेन संख्या 16596 पंचगंगा एक्सप्रेस
9	सरवणकुमारी शर्मा पी	टी स्टॉल, रत्नागिरी स्टेशन और मडगांव स्टेशन
10	आहूजा एंड केयर कैटरिंग	ट्रेन संख्या 20112/20111 और ट्रेन संख्या 10104/10103 की पेंटी कार
11	वैदेही निनाद कदम	चाय की दुकान, चिपलून स्टेशन
12	संदीप मधुकर तांबे	टी स्टॉल, रत्नागिरी स्टेशन
13	शशिकांत आत्माराम चव्हाण	चाय की दुकान, खेड़ स्टेशन
14	संदीप रामचंद्र राणे	चाय की दुकान, चिपलून स्टेशन
15	प्रकाश वसंत फाल्के	टी स्टॉल, रत्नागिरी स्टेशन
16	अरविंद गणपत लखेशरी	चाय की दुकान, चिपलून स्टेशन
17	सचिन प्रकाश सावंतदेसाई	शाकाहारी रेस्टोरेंट, रत्नागिरी स्टेशन
18	मेसर्स दत्ता भोजनालय	चाय की दुकान, चिपलून स्टेशन
19	मेसर्स अन्वी फूड प्रोडक्ट्स	चाय की दुकान, चिपलून स्टेशन
20	राजेश रमेश रेडिज	लेक व्यू रेस्टोरेंट, करमाली स्टेशन
21	शेखर रघुनाथ रेडिज	टी स्टॉल रत्नागिरी स्टेशन
22	सरोजिनी नारायण रावूल	टी स्टॉल रत्नागिरी स्टेशन

23	ब्लूजेंट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	रनिंग रूम वेरना , मडगांव
24	अमीर कुंजी	ट्रेन में वेंडिंग कैटरिंग सेवाएं संख्या 22114
25	जेरी जोसिन्हो डायस	टी स्टॉल , मडगांव स्टेशन
26	कमला कैटरिंग सर्विसेज	रनिंग रूम, सुरतकल स्टेशन
27	बेन्जो ड्रिंक्स और रेल रेस्टोरेंट	मडगांव रेलवे स्टेशन
28	भारत एन कर्पूरकर	चाय की दुकान, मडगांव स्टेशन
29	लियंड्रा की रसोई	रेल आर्केड, मडगांव स्टेशन

II. एफएसएसएक्ट 2006 के तहत रजिस्टर्ड एफबीओ की कुल संख्या : 96 + 209 – ट्रेन वेंडर
रत्नागिरी क्षेत्र : 34 (चाय की दुकानें/रेस्तरां/आदि) + 209 – यात्री ट्रेन विक्रेता
कारवार क्षेत्र : 62